कार्यालय - ग्राम पंचायत मोरघड़ी
तहसील पुनासा जिला खण्डवा मध्य प्रदेश.

भवन निर्माण की अनुमति

क्रमांक / 658/2019/पं.मं   दिनांक 24/11/2019 अगस्त 2019

प्रति,

श्री गिरधारीलाल पिता हीरालालजी सोनी,
निवासी आजाद रोड़ सनावद.

विषय – ग्राम मोरघड़ी में ओंकारेश्वर रोड़ किनारे व्यवसायिक कृषि भिन्न आशय की खसरा नंबर 514, 515 रकबा कुल रकबा 2.43 हेक्टेयर की भूमि पर हाटेल रिसार्ट की अनुमति बाबद.

संदर्भ– आपका निर्माण अनुमति आवेदन दिनांक 23 जुलाई 2019

****

आपने ग्राम मोरघड़ी में ओंकारेश्वर रोड़ किनारे की खसरा नंबर 514 एवं 515 की कुल रकबा 2.43 हेक्टेयर निजी भूमि पर हाटेल भवन व रिसार्ट निर्माण हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार निर्माण अनुमति बाबद आवेदन किया है । इस भूमि का श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) पुनासा के न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 14/अ–2/2018–2019 आदेश दिनांक 29.06.2019 के व्दारा संशोधित भू राजस्व अधिनियम 2018 के प्रावधानों के तहत धारा 59 के अंतर्गत व्यवसायिक व्यपवर्तन हाटेल एवं रिसार्ट निर्माण हेतु किया गया है । ग्राम पंचायत व्दारा अपने पत्र क्रमांक 657 दिनांक 26.07.2019 के व्दारा श्रीमान उप संचालक महोदय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग खण्डवा से अभिमत व मार्ग दर्शन चाहा गया था जो अप्राप्त है । मोरघड़ी ग्राम जिले की विकास योजना में सम्मलित नहीं है ।

नियमानुसार निर्माण अनुमति शुल्क राशि रुपये 5000/– पांच हजार रुपये ग्राम पंचायत के बैंक खाते में दिनांक 26 जुलाई 2019 को ई ट्रांसफर से जमा हो चुकी है ।

अत: संलग्न मानचित्र अनुसार उपरोक्त निजी व्यवसायिक व्यपवर्तित भूमि पर हाटेल भवन व रिसार्ट निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है। निर्माण किए जाने में पंचायत को कोई आपत्ती नही ।

सचिव
ग्राम पंचायत मोरघड़ी
सचिव
ग्राम पंचायत मोरघड़ी
24/11/2019

सरपंच
ग्राम पंचायत मोरघड़ी
नि. श्री. रुक्मणीबाई
सरपंच
ग्राम पंचायत मोरघड़ी